(संस्था में वेतन बचत योजना के प्रारंभ/नवीनीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित समझौता पत्र)
(परिशिष्ट–V)

द्विपक्षीय समझौता (BIPARTITE AGREEMENT)

दिनांक : ....

सेवा में,
वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
....

महोदय,

विषय: वेतन बचत योजना (Salary Savings Scheme) – पीए कोड संख्या …………………

हमने अपने कर्मचारियों के हित के लिए आपकी वेतन बचत योजना का अध्ययन किया है।

1) अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, हमने यह सहमति दी है कि हमारे कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए जाने पर, हम उनके वेतन से इतनी राशि की कटौती करेंगे जो निगम की वेतन बचत योजना के अंतर्गत उनके प्रीमियम भुगतान हेतु पर्याप्त हो, और उसे उनके ओर जमा करेंगे।

2) इस योजना तथा इसके अंतर्गत जारी पॉलिसियों से संबंधित सभी लेन-देन में हम अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए आपके प्रतिनिधि के रूप में।

3) यह समझा जाता है कि लेखाकंन सुविधा हेतु निगम हमें प्रत्येक माह दो प्रतियों में एक विवरण (Statement) भेजेगा, जिसमें प्रत्येक पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम का विवरण होगा (या यदि सहमति हो तो केवल परिवर्धनों का विवरण) और हम इस विवरण में दर्शाई गई कुल प्रीमियम राशि के बराबर राशि निगम को प्रेषित करेंगे, जिसमे निगम के विवरण मे मदों मे किए गए परिवर्धन या घटाव के कारण आवश्यक समायोजन शामिल होंगे। यह भी सहमति है कि प्रेषण के साथ एक सामंजस्य विवरण (Reconciliation Statement) भेजा जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि कुल राशि किस प्रकार जोड़ी/घटाई गई है। साथ ही, एक प्रति आपको वापस भेजी जाएगी जिसमें जोड़े/घटाए गए मदों तथा उनके कारणों का उल्लेख होगा।

4) यह भी समझा जाता है कि निगम द्वारा कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रीमियम देय सूचना या रसीद जारी नहीं की जाएगी।

5) यह भी समझा जाता है कि कर्मचारी पॉलिसीधारक को पॉलिसी प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद किसी भी समय योजना से बाहर होने का अधिकार होगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता है या उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो हम आपको लिखित रूप में सूचित करेंगे और उसके बाद हम उसके प्रीमियम संग्रह के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

6) यह भी समझा जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था को आप या हम, किसी भी पक्ष द्वारा 60 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर संशोधित या समाप्त किया जा सकता है।

7) यदि यह समझौता समाप्त हो जाता है या कोई कर्मचारी किसी अन्य कारण से योजना में भाग लेना बंद कर देता है, तो उसके बाद प्रीमियम भुगतान उसके और आपके बीच का विषय होगा।

8) पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम प्रत्येक माह की 20 तारीख को देय होते हैं। अतः प्रत्येक माह की गई कटौतियों को 15 दिनों के भीतर निगम को प्रेषित किया जाएगा।

9) यह भी समझा जाता है कि यदि निर्धारित तिथि तक प्रीमियम निगम को प्राप्त नहीं होता है, तो पॉलिसियां निष्क्रिय हो जाएंगी और निगम की जिम्मेदारी केवल प्राप्त प्रीमियम तक सीमित होगी। इस कारण कर्मचारी को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता, प्रधान (Principal) के रूप में, संबंधित कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

नियोक्ता के हस्ताक्षर

निगम द्वारा अनुमोदित (COUNTERSIGNED)

दिनांक : ....   (शाखा प्रबंधक/मंडलीय प्रबंधक)

नोट:उपरोक्त पत्र को संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर के साथ दो प्रतियों में पूर्ण किया जाना है, जिससे संगठन की ओर से शर्तों की स्वीकृति दर्शाई जा सके।

(टिप्पणी : यदि किसी शर्तो और निबंधनों और विशेष प्रवधानो / शर्तो के संबंध मे कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा)